

बिन्दु क्रमांक :-1

कार्य एवं कर्तव्य :-


कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल म.प्र.

कार्यक्षेत्र जिला बैतूल

नियंत्रण : संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रशासकीय विभाग : मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय का संरचना ढांचा:-



कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार

बसाहटों के नियोजन के प्रति, प्रतिबद्धता के रूप में प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के कार्यक्षेत्र जिला बैतूल में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के नगर तथा ग्राम निवेश 2012, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं नगरों के नियोजन का कार्य किया जाता है, जिसके तहत नगरीय तथा प्रादेशिक विकास योजनायें बनाना, छोटे तथा मझौले नगरों की

एकीकृत विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय अधोसंरचना विकास की योजना तैयार करना सम्मिलित है।

तहत मुख्य रूप से विकास अनुज्ञा, भूमि प्रमाण की जानकारी एवं भू व्यपवर्तन अभिमत प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इस अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आदि को उनकी योजनाओं के कार्य में तकनीकी परामर्श/अभिमत प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा जिला कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागों को नियोजन संबंधी विषयों में परामर्श देने तथा समन्वय करने के दायित्व का भी निर्वहन करता है। जिला कार्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण बैतूल जिला है।

बिन्दु क्रमांक :-2


अधिकारियों ओर कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य :-

1. नगरों के निवेश क्षेत्रों की विकास योजनायें बनाना।
2. गठित निवेश प्रदेशों की पादेशिक योजनायें बनाना।
3. छोटे तथा मझौले नगरों के एकीकृत विकास हेतु नियोजन व विकास पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।
4. नगरीय अधोसंरचना विकास
5. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन।
6. नगरों के पअप्राधिकृत विकास पर नियंत्रण (प्रवर्तन)
7. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य विकास संस्थाओं को परियोजना तैयार करने में मार्गदर्शन।
8. राज्य शासन एवं अन्य संस्थाओं को नये नगरों एवं औद्योगिक विकास केन्द्रों के व्यवस्थापन, भूमि नियोजन, स्थल चयन आदि में मार्गदर्शन एवं सहयोग
9. राज्य शासन को भूमि विकास एवं प्रबंधन संबंधी नीतियों के निर्धारण में सहयोग।
10. सिटीजन चार्टर। सूचना के अधिकारी के तहत जानकारी उपलब्ध कराना।
11. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत अंगीकृत विकास योजनाओं के भूमि उपयोग एवं रोड़ की प्रस्तावित चौड़ाई एवं कालोनी विकास अनुज्ञा (ले आउट) उपलब्ध कराना।
12. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा के अंतर्गत तैयार किये गये विकास नियम, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार क्षेत्र के विकास हेतु अनुज्ञा/ अभिमत जारी करना।

बिन्दु क्रमांक :- 3

निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन:-

- Rules of Business



बिन्दु क्रमांक :- 4

कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदण्ड:-

1. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल के निर्धारित समय सीमा अनुसार कार्य सम्पादन किया जाता है।
2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण समय सीमा में किया जाता है।
3. शासन एवं संचालनालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित करना।

बिन्दु क्रमांक :- 5

नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकॉर्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है:-

01 – म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

02– म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 2012

03– म.प्र. भूमि विकास नियम 2012

04– म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचना का व्ययन नियम, 2013

05– आवास नीति

06– अनुमोदित विकास योजना पुस्तक एवं मानचित्र

07– शासन द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र एवं संचालक द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देश/ आदेश

08– मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र एवं निर्देश भूमि उपयोग संबंधी समस्त जानकारी संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश अथवा संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।

बिन्दु क्रमांक :- 6

नियंत्रण में रखे गए आधिकारिक दस्तावेजों :-

01 – न्यायालयीन प्रकरण नस्ती

02 – कोई सर्वे उपकरण एवं तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है।

03 – धारा 27 पंजी, धारा 28 पंजी, धारा 29 पंजी, धारा 16 पंजी, भू-राजस्व संहिता के तहत प्राप्त प्रकरण पंजी, सामान्य प्रकरण पंजी, नजूल भूमि पंजी एवं अन्य पंजी ।

04 – उपस्थिति पंजी, वार्षिक वेतन वृद्धि पंजी, आकस्मिक अवकाश पंजी, यात्रा देयक पंजी, चिकित्सा देयक पंजी, वेतन रजिस्टर, मासिक व्यय पंजी, अग्रिमों की पंजी, अवितरित राशि पंजी, बिल रजिस्टर, चेक रजिस्टर, ड्राफ्ट रजिस्टर, चालान रजिस्टर एवं मासिक राजस्व प्राप्तियों,, भवन किराये की पंजी, ट्रेजरी व्हाउचर इंड्राज पंजी, सामूहिक बीमा/ परिवार कल्याण निधि रजिस्टर, विभागीय सामान्य निधि रजिस्टर, आवक रजिस्टर, जावक रजिस्टर, विकास योजना रजिस्टर, सूचना अधिकार पंजी।